राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प 15 (35) वन / 97 दिनांक : 17.7.2003

आज्ञा

विषय :– त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों और कार्यों का हस्तान्तरण।

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में अधिनियमित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 50, 51 तथा 52 में प्रदत्त ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के अधिकारों, कार्यों एवं दायित्वों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों को वन विभाग से सम्बन्धित दायित्वों, कार्यों एवं शक्तियों के हस्तान्तरण का राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में पंचायत भूमि पर स्थिति प्राकृतिक एवं विकसित की गई वन सम्पदा का प्रबन्धन एवं रख–रखाव का दायित्व भी सम्मिलित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों को दायित्वों, कार्यों एवं शक्तियों का हस्तान्तरण निम्न प्रकार किया जाता है :

विषय	**जिला परिषद का कार्य / शक्ति**	**पंचायत समिति का कार्य /शक्ति**	**ग्राम पंचायत का कार्य /शक्ति**
1. सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी के नये कार्य जो कि गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा किये जाते थे। इन्हें अब त्रिस्तरीय पंचायतों को दिया जाता है। इस कार्य के लिए पंचायतें अपने संसाधनों का उपयोग कर सकती है अथवा प्रचलित राज्यादेशों के अनुसरण में सरकार या अन्य स्त्रोतों से निधि प्राप्त हाने के	1.गैर वन भूमि पर सामाजिक एवं फार्म वानिकी कार्य अब जिला परिषद द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। 2. विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को कार्य हेतु आवश्यक बजट का आवंटन जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। 3. जिला परिषद अपने कार्यक्षेत्र में गैर वन भूमि की पहचान कर ऐसी भूमियों पर वृक्षारोपण के माध्यम से विकास करेगी। 4. जिला परिषद को अपने कार्य क्षेत्र में गैर वन भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य के अन्तर्गत पौधशाला स्थापना वृक्षारोपण की सुरक्षा, रख–रखाव कार्य की योजना बनाने एवं क्रियान्वित कराने का अधिकार होगा। किसान पौधशालाओं के माध्यम से पौध तैयारी के लिए ये ग्रामीण कृषकों को प्रोत्साहित करेगी। 5. जिला परिषद वृक्षारोपण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कार्य एवं जिला स्तर पर वन महोत्सव को	1. पंचायत समिति को अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत गैर वन भूमि (राष्ट्रीय पथ, राज्य पथ, नहर को छोड़कर) पर सामाजिक वानिकी सम्बन्धित विशेषकर चारागाह विकास करने / कराने का अधिकार रहेगा। 2. पंचायत समिति अपने कार्यक्षेत्र में गैर वन भूमि की पहचान कर इन भूमियों पर ईंधन वृक्षारोपण तथा चारागाह विकास करेगी तथा वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास की सुरक्षा एवं प्रबन्ध करके इनका उपयोग ग्रामीण विकास के लिए करेगी।	1. सामाजिक वानिकी के नये कार्य गैर वन भूमि पर अब ग्राम पंचायत द्वारा किये जायेंगे। 2. ग्राम पंचायत अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण मार्गों तथा अन्य सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण करके तथा उनकी सुरक्षा एवं प्रबन्ध करके इनका उपयोग ग्रामीण विकास के लिए करेगी। 3. पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र में गैर वन भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण तथा चारागाह विकास का कार्य करेगी। 4. कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करेंगी। तैयार पौधों का वितरण राज्य सरकार की नीति एवं निर्देशों के अनुसार पंचायतों द्वारा किया जावेगा। 5. कृषक पौधशालाओं का विकास करेगी। कृषक पौधशालाओं हेतु कृषकों का चयन, पौधशाला का आवंटन ग्राम पंचायतों के

पश्चात कार्यों का क्रियान्वयन कर सकती है।	आयोजित करेगी। 6. राष्ट्रीय/ राज्य मार्ग तथा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मार्गों पर वृक्षारोपण का कार्य सामाजिक वानिकी के अंतर्गत करायेंगी। 7. जिला परिषदों की बैठकों में उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी भाग लेंगे। 8. पंचायत समितियों को आवंटित कार्यों का पर्यवेक्षण जिला परिषद द्वारा किया जावेगा। 9. सभी सामाजिक वानिकी कार्य में जन सहभागिता प्राप्त कर कार्य कराना तथा साझा वन प्रबन्ध सम्बन्धित राज्यादेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना। 10. 26.4.91 से पूर्व पंचायतों से प्राप्त पंचायत भूमि पर सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने तथा 5 वर्षों कर रख– रखाव के पश्चात यह वृक्षारोपण पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। जिला परिषदों द्वारा ऐसे विकसित पंचायत भूमि वृक्षारोपण की वन सम्पदा को पंचायत के माध्यम से पूर्ण रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा तथा पंचायतों द्वारा किये गये वृक्षारोपण का लेखा जोखा भी जिला परिषद द्वारा रखा जावेगा।	3. पंचायत समिति अपने अधिनस्थ ग्राम पंचायतों में कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करेगी। 4. पंचायत समिति अपने कार्यक्षेत्र में वानिकी प्रचार–प्रसार काय्र एवं वन महोत्सव मनाने का कार्य करेगी। 5. ग्राम पंचायतों को आवंटित कार्यों का पर्यवेक्षण पंचायत समिति द्वारा किया जावेगा। 6. सभी सामाजिक वानिकी कार्य में जन सहभागिता प्राप्त कर कार्य कराना तथा साझा वन प्रबन्ध सम्बन्धित राज्यादेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना। 7. 26.4.91 से पूर्व पंचायतों से प्राप्त पंचायत भूमि पर सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने तथा 5 वर्षों कर रख– रखाव के पश्चात यह वृक्षारोपण पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। पंचायत समितियों द्वारा ऐसे विकसित पंचायत भूमि वृक्षारोपण की वन सम्पदा को पंचायत के माध्यम से पूर्ण रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा तथा	अधीन होगा। 6. फॉर्म वानिकी के अन्तर्गत पौधशालाओं में उगाई जाने वाली प्रजातियों के चयन का अधिकार होगा। 7. पंचायत स्तर पर वानिकी प्रचार – प्रसार कार्य एवं वन महोत्सव का आयोजन पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आये। 8. गैर वन भूमि पर किये गये समस्त वृक्षारोपण जिन्हें ग्राम पंचायतों को सौंपा जा चुका है या सौंपा जाना है, उनका प्रबन्ध पंचायतों द्वारा वन विभाग से अनुमोदित प्रबन्ध योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति एवं समय–समय पर प्रसारित आदेश पंचायतों को मान्य होंगे। 9. सभी सामाजिक वानिकी कार्य में जन– सहभागिता प्राप्त कर कार्य कराना। पुख्ता सुरक्षा के उद्देश्य से राजस्थान पंचायती राज नियम 1998 के नियम 170 के अन्तर्गत पंचायतों को विकसित वृक्षारोपण / चारागाह विकास के नियंत्रण हेतु प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग कर स्थानीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति अथवा ईको डवलपमेंट कमेटी को विधिवत रूप से कार्यभार सुपुर्द करेगी। जहां पर ऐसी समिति नहीं हो, विकास कार्य प्रारम्भ के पूर्व समिति का गठन सुनिश्चित करेगी। 10. 26.4.91 से पूर्व पंचायतों से प्राप्त पंचायत भूमि पर सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने तथा 5 वर्षों कर रख– रखाव के पश्चात यह वृक्षारोपण पंचायतों को हस्तान्तरित

		पंचायतों द्वारा किये गये वृक्षारोपण का लेखा–जोखा भी जिला परिषद द्वारा रखा जावेगा।	कर दिये गये हैं। पंचायतों द्वारा ऐसे विकसित पंचायत भूमि वृक्षारोपण की वन सम्पदा को पंचायत के माध्यम से पूर्ण रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा पंचायत भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई प्रबन्ध योजना के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। जब पंचायत भूमि वृक्षारोपणों का विदोहन होगा तब अपने स्तर पर प्रबन्ध योजना के प्रावधानों के अनुसरण में आय की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को जमा करायेंगे। शेष 50 प्रतिशत राशि जो कि पंचायतों को प्राप्त होगी उसमें से वृक्षारोपण क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया जावेगा।

वानिकी कार्यों के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिला परिषद स्तर पर एक सहायक वन संरक्षक अधिक वन क्षेत्र वाली पंचायत समितियों में एक क्षेत्रीय वन अधिकारी, एक वनरक्षक एवं दो कार्य प्रभारी तथा अपेक्षाकृत कम वन क्षेत्र वाली पंचायत समितियों में एक वनपाल / एक सहायक वनपाल, एक वनरक्षक एवं दो कार्य प्रभारी कर्मचारी उपलब्ध करवाये जायेंगे। उपलब्ध कराये गये स्टाफ के स्थानान्तरण तथा उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संधारण इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

बाह्य / केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले अथवा अन्य एजेन्सीज द्वारा वन विभाग को प्रदत्त कार्य जो कि गैर वन भूमि पर किये जावेंगे, वे सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन किये जायेंगे।

अन्तिम विदोहन से पूर्व वृक्षारोपण क्षेत्रों से प्राप्त वन उत्पादों का वितरण सम्बन्धित ग्राम के लाभान्वितों को ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति / ईको डवलपमेंट कमेटी द्वारा साझा वन प्रबन्ध के तहत बने नियमों एवं निर्देशों अनुसार किया जावेगा।

पंचायत भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के अन्तिम विदोहन से प्राप्त आय ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति / ईको डवलपमेंट कमेटी, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के मध्य उस अनुपात में वितरित की जावेगी जो कि राज्य सरकार निश्चित करेगी। ग्राम पंचायत अपने हिस्से की राशि में से विदोहित क्षेत्र के पुनरारोपण हेतु आवश्यक राशि व्यय करेगी।

ह0

प्रमुख शासन सचिव